



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 19.06.2026

"ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना डकोर पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त 1. जीतू पुत्र रामबाबू 2. लल्लू पुत्र परमसुख नि०गण ग्राम मवई ब्राहाण थाना कदौरान जनपद जालौन 3. पून उर्फ राघवेन्द्र पुत्र घनश्याम नि० कान्हाखेडा थाना कदौरा जनपद जालौन द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करने के संबन्ध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कदौरा पर मु०अ०सं० 78/20 धारा 354/506 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण उपरोक्त को 3-3 वर्ष कारावास एवं 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना डकोर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त को दोषी पाते हुए 3 कारावास एवं 3,000-3,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भदौरिया



प्र०नि० मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे०का० सुधीर सिंह
कोर्ट मुहर्रि



का० गौरव
कोर्ट पैरोकार